

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरा जाने के लिये)

17.	टिप्पड़ियों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	Recommended for approval
	राय देते समय संबंधित वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पड़ियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पड़ी की जाये	

दिनांक: 11.10.2017

स्थान: Lucknow

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
सरकारी मोहर

Da

डा0 प्रशांत कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ0प्र0, लखनऊ